

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2),
यथा संशोधित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2006
(2006 का 18)

अध्याय 1 प्रारंभिक अनुभाग 1

अनुभाग 2 लघु शिर्ष, विस्तार और प्रारंभ

परिभाषा

अध्याय 2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अनुभाग 3

अनुभाग 4

अनुभाग 5

अनुभाग 6

अनुभाग 7

अनुभाग 8

अनुभाग 9 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का संविधान

अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा अवधि और शर्तें

आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी

अनुदान में से दिया जाने वाला वेतन और भत्ते

रिक्त पद आदि जो आयोग की प्रक्रियाओं को अविधिमान्य नहीं करे

आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रविधि

अध्याय 3 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार

अनुभाग 10

अनुभाग 10 ए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना का अधिकार

संबद्धता प्राप्त हेतु अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार

अध्याय 4 आयोग की शक्तियाँ एवं कार्य अनुभाग 11

अनुभाग 12

अनुभाग 12 ए

अनुभाग 12 बी

अनुभाग 12 सी

अनुभाग 12 डी

अनुभाग 12 ई

आयोग के कार्य

आयोग की शक्तियाँ

सक्षम प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील

किसी शैक्षिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने की आयोग की शक्ति

रद्द करने की शक्ति

अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार के वंचन संबंधी मामलों की जाँच करने की आयोग की शक्ति

सूचना आदि को माँगने की आयोग की शक्ति

अनुभाग 12 एफ -	बार ऑफ जुरिसडिकशन
अनुभाग 13	- अध्यक्ष की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ
अध्याय 5	- वित्त, लेखा एवं ऑडिट
अनुभाग 14	- केंद्र सरकार द्वारा अनुदान
अनुभाग 15	- लेखा एवं ऑडिट
अनुभाग 16	- वार्षिक रिपोर्ट
अनुभाग 17	- संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट एवं ऑडिट रिपोर्ट
अध्याय 6 - विविध	
अनुभाग 18	- खत्म कर दिया गया है
अनुभाग 19	- आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, कर्मचारी आदि लोक सेवक होंगे
अनुभाग 20	- केंद्र सरकार के निर्देश
अनुभाग 21	- नेकनियति में की गई कार्रवाई की सुरक्षा
अनुभाग 22	- अधिभावी प्रभाव होने संबंधी एक्ट
अनुभाग 23	- वापसी अथवा सूचना
अनुभाग 24	- नियम बनाने की शक्ति
अनुभाग 25	- समस्याओं के समाधान की शक्ति
अनुभाग 26	- खंडन एवं बचाव - अनुसूची (खत्म कर दिया गया है)